दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आ.प्र.अ. (मू.प.) 67/2024 और सि.वि. सं.27890-27894/2024

के. जीवन रीता मूर्ति .....अपीलार्थी

द्वारा: श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, अधिवक्ता।

बनाम

सरबजीत सिंह (चूंकि मृत) और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री उदित अरोड़ा, प्र-2 के अधिवक्ता

निर्णय की तिथि: 10 मई, 2024

कोरमः

माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

<u>निर्णय</u>

<u>मनमोहन, का.मु.न्या.: (मौखिक)</u>

1. वर्तमान अपील सि.वा. (मू.प.) संख्या 1418/2010 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 15 जनवरी, 2024 के आक्षेपित निर्णय को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके तहत मृत प्रतिवादी (प्रत्यर्थी संख्या 2) के

विधिक प्रतिनिधि के रूप में प्रतिस्थापन के लिए अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थी ने सि.वा. (मू.प.) संख्या 1418/2010 में पुन.या. संख्या 193/2024 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 30 अप्रैल, 2024 के आदेश को भी चुनौती देने की मांग की है, जिसके तहत दिनांक 15 जनवरी, 2024 के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलार्थी द्वारा दायर पुनर्विलोकन याचिका को भी खारिज कर दिया गया था।

2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधियों के रूप में प्रतिस्थापन के लिए कथित विधिक वारिसों की ओर से श्री वेद व्यास द्वारा दायर आवेदन अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 6723/2022 को बिना किसी सबूत के अनुमति देने में गलती की।

3. उन्होंने आगे कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि के रूप में उसके प्रतिस्थापन की मांग करते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 19418/2022 को खारिज करने में गलती की, क्योंकि उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया कि सबसे पहले, अपीलार्थी ने पहले ही मृत प्रतिवादी द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर अपने पक्ष में प्रशासन के पत्र की मांग करते हुए वसीयती वाद सं. 33/2023 दायर किया था और दूसरी

बात यह कि अपीलार्थी मृत प्रतिवादी के साथ उसकी मृत्यु से पहले से ही वादांतर्गत संपत्ति में रह रही थी और रह रही है।

4. अभिलेख-पुस्तिका का अवलोकन करने के पश्चात, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विषयगत वाद प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी द्वारा वादांतर्गत संपत्ति पर कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए दायर किया गया है, जिसमें मृत प्रतिवादी द्वारा निष्पादित दिनांक 15 मार्च, 1982 की वसीयत सहित दस्तावेजों के आधार पर स्वयं को वादांतर्गत संपत्ति का मालिक होने का दावा किया गया है।

5. दूसरी ओर, अपीलार्थी मृत प्रतिवादी द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित 08 नवंबर, 2021 की अपंजीकृत वसीयत के आधार पर वादांतर्गत संपत्ति का मालिक बनने का दावा कर रही है। इस प्रकार, अपीलार्थी एक वसीयत के आधार पर मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि के रूप में उसके वसीयतदार के रूप में प्रतिस्थापन का दावा कर रही है, जिसकी वास्तविकता अभी तक सिद्ध और साबित नहीं हुई है। **(पुनः भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 213)**

6. यह न्यायालय विद्वान एकल न्यायाधीश के इस दृष्टिकोण से सहमत है कि अपीलार्थी को मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि के रूप में पक्षकार बनाने से वाद की प्रकृति कब्जे के वाद से बदलकर वर्ग- के तहत अपीलार्थी और मृत

प्रतिवादी के कथित विधिक वारिसों के बीच स्वामित्व के निर्धारण के वाद में बदल जाएगी, जो विषयगत वाद के दायरे से बाहर हो जाएगा।

7. परिणामस्वरूप, आवेदनों सहित वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश

न्या. मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

10 मई, 2024
केए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*